तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज अपीडी/टि0ए0/8391/2006/राजसमन्द नगरपालिका बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

22.08.2019

खण्ड– पीठ
श्री मुकेश शर्मा, अध्यक्ष
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थिति :–
श्री पूर्णाशंकर दशोरा, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री ओ0पी0 भट्ट, अधिवक्ता रैस्पो0
श्रीमती पूनम माथुर, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षप में अधिनियम, 1955) की धारा 224 के अन्तर्गत विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा दिनांक 26–9–2006 को अपील संख्या 59/06 अनुवानी उपवन संरक्षक बनाम नगर पालिका नाथद्वारा में पारित निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। सहायक कलक्टर/उप खण्ड अधिकारी, नाथद्वारा के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रकरण संख्या 156/2003 अनुवानी नगरपालिका बनाम राजस्थान राज्य अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0ए0 के वाद पत्र को निर्णय व डिक्री दिनांक 16–01–2006 से आंशिक स्वीकार किया गया था, के विरुद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील को आक्षेपित निर्णय दिनांक 26–9–2006 से खारिज किया गया है। प्रकरण में दिनांक 01–08–2019 को अपीलार्थी और राजकीय अधिवक्ता पक्ष तथा वन विभाग के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अपीलार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने 2003 (2) डी0एन0जे0 (एस0सी0) पेज 462 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रस्तुत अपील नगर पालिका, नाथद्वारा से संबंधित है और वन विभाग, राजसमन्द के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत नजीर के हवाले से उन्होंने निवेदन किया कि चूँकि राज्य सरकार के दोनों विभागों के मध्य प्रस्तुत मामला विद्यमान है, अतः ऐसे प्रकरणों में अनावश्यक रुप से विवाद (Litigation) चलाने के बजाए इस प्रकार के प्रकरण को अन्तः विभागीय विवाद निस्तारण समिति के माध्यम से तय किया जाना उचित होगा। रैस्पो0 पक्ष के योग्य अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा भी इस सम्बन्ध में सहमति स्वरुप अपना मत रखा है।

उभय पक्षीय अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं उद्धरित नजीर 2003 (2) डी0एन0जे0 (एस0सी0) पेज 462 का ससम्मान अध्ययन किया गया। उपरोक्त नजीर में मत व्यक्त किया गया है :–

[B] Constitution of India, 1950 – Arts. 131, 226 & 300 – Civil Procedure Code, 1908 – Secs. 79 & 80, 27 R. 1 &

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **अपीडी/टि0ए0/8391/2006/राजसमन्द** **नगरपालिका बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	O. 1 & O. 1 Rr. 9 & 10 – Suit/Writ between two departments of State Government- Not envisaged in Constitution or CPC - Such practice detrimental to public interest – Direction to constitute committee to settle inter departmental disputes given [Para 14] स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण वर्ष 2003 से नगरपालिका एवं वन विभाग व राजस्व विभाग के मध्य लंबित है, इस प्रकार से ये प्रकरण राजस्थान सरकार के ही दो विभागों के मध्य है। अतः प्रकरण के तथ्यों व उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त की रोशनी में इस अपील को निम्नानुसार निस्तारित किया जाता है :– निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान प्रकरण में अन्तर्विभागीय विवाद निस्तारण समिति हेतु प्रकरण को नियमानुसार निस्तारण करने के लिए मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के समक्ष भिजवाया जाये। सम्बन्धित पक्षकार भी उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अपना अभ्यावेदन मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रस्तुत करें। इस निर्देश के साथ यह अपील **निस्तारित** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नियमानुसार नम्बर से कम हो। निर्णय की सूचना उभय पक्ष के अधिवक्तागणा को दी गई। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य** **(मुकेश शर्मा)** **अध्यक्ष**	